कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः—उनि / सशि / एफ—501 / निशु / पापु / 2026—27 / पार्ट फाईल(1)   दिनांक—यथा हस्ताक्षर

1..समस्त संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा।
2.समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा।

विषयः—शैक्षिक सत्र 2026—27 के लिए राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को निःशुल्क पाठ्य—पुस्तकें उपलब्ध करवाने बाबत्।

प्रसंगः—राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मण्डल, जयपुर का पत्रांक रेफरेन्स नं. 21198182 दिंनाक 23.03.2026।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के क्रम में लेख है कि शैक्षिक सत्र 2026—27 हेतु राजकीय विद्यालयों व मदरसों में अध्ययनरत कक्षा 01 से 08 तक के समस्त विद्यार्थियों तथा कक्षा 09 से 12 तक की समस्त छात्राओं, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के समस्त छात्रों तथा वे छात्र जिनके अभिभावक आयकर दाता नहीं है, को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध करवाई जानी है। **शाला दर्पण पोर्टल पर पीईईओ / यूसीईओ (नोडल केन्द्र) की प्रविष्ठ सूचना के आधार पर इस कार्यालय द्वारा प्रेषित मांग के अनुरूप,** राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मण्डल, द्वारा अनुबंधित परिवहन संवेदकों के माध्यम से **पीईईओ / यूसीईओ विद्यालयों तक निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का** वितरण किया जाना है।

निर्धारित नोडल (पीईईओ / यूसीईओ) केन्द्रों पर निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें पहुंचाने का कार्यक्रम पाठ्य पुस्तक मण्डल, जयपुर द्वारा दिंनाक 25.03.2026 तक संपन्न किया जाना है एवं प्रथम चरण में वितरण से शेष रही पुस्तकों का वितरण दिंनाक 26.03.2026 से 31.03.2026 तक निर्धारित किया गया है। इस कार्यालय द्वारा प्रेषित मांग के आधार पर राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मण्डल, जयपुर द्वारा जारी आवंटन के अनुसार मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी / जिला प्रभारी, पाठ्य पुस्तक मण्डल के संबंधित जिला डिपो प्रभारी से समन्वय स्थापित कर प्रथम चरण के प्रथम दस दिवस में जिन ब्लॉक पर पुस्तकें वितरित की गई उन ब्लॉकों को पुनः दिंनाक 26.03.2026 से 31.03.2026 तक पुस्तकों के वितरण हेतु निर्धारित नोडल केन्द्रों के लिए वितरण की कार्य योजना शीघ्र तैयार कर इस कार्यालय को अतिशीघ्र सूचित करते हुए निर्धारित अवधि मे वितरण करवाया जाना सुनिश्चित करें।

निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों के समयबद्ध व सुगम वितरण के दृष्टिगत नोडल केन्द्रवार तिथि शीघ्र निर्धारित करते हुए रूट चार्ट पाठ्य पुस्तक मण्डल के जिला डिपो प्रभारी को उपलब्ध करावें। उपर्युक्तानुसार निर्धारित तिथि में ही प्रथम चरण से शेष निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का वितरण कार्य सम्पादित किया जाना सुनिश्चित करें।

शेष शर्ते इस कार्यालय के समसंख्यक पंत्राक उनि / सशि / एफ—501 / निशु / पापु / 2025—26 / रेफरेन्स नं. 20604739 दिनांक 25.02.2026 की भांति यथावत रहेगी।

ध्यान रहे कि निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण राज्य सरकार की महत्वपूर्ण योजना के साथ ही समयबद्ध कार्यक्रम है। अतः उक्त कार्य निर्धारित अवधि में सर्वोच्च प्राथमिकता से पूर्ण किया जावे।

उपनिदेशक
समाज शिक्षा राजस्थान,
बीकानेर

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही बाबत :—

1.निजी सचिव, शासन सचिव स्कूल शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2.निजी सचिव, निदेशक, प्रांरभिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।
3.निजी सचिव, सचिव, राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मण्डल, जयपुर।
4.निजी सचिव, निदेशक संस्कृत शिक्षा, जयपुर।
5.निजी सचिव, मदरसा बोर्ड, जयपुर।
6.समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) — माध्यमिक / प्रारंभिक ।
7.समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
8.प्रभारी अधिकारी शाला दर्पण प्रकोष्ठ, बीकानेर एवं जयपुर।
9.रक्षित पत्रावली।

उपनिदेशक
समाज शिक्षा,राजस्थान,बीकानेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Ashok Kumar Pareek
Designation : Deputy Director
Date: 2026.03.27 11:42:00 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 21277985
eSign 1.0